**न्यायालय–रिविजन प्राधिकार–सह–सचिव**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–06 / 2024

शाहीद अली उर्फ शाहीद अफरीदी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

**आदेश**

यह रिविजनवाद शाहीद अली उर्फ शाहीद अफरीदी, पिता–फखरूदीन आलम, कैमूर (भभुआ) द्वारा समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) के अपीलीय न्यायालय में दायर विविध वाद सं0–15 / 2024 में दिनांक–14.03.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अभियोजन के अनुसार वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–26.09.2022 को पूर्वाह्न लगभग 09:00 बजे रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि अधौरा बाजार में शाहिद अली, पिता–फकरूद्दीन आलम के गोदाम में भारी मात्रा में वन पदार्थ संग्रहण कर रखा गया है। गोदाम के मालिक को बुलाया गया लेकिन वह नहीं आया। आघौरा थाना के सशस्त्र बल एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अघौरा वन प्रक्षेत्र के समक्ष बन्द गोदाम का ताला तोड़ कर गोदाम की तलाशी ली गई तो पाया कि उस गोदाम में भारी मात्रा में महुआ, पियार, हर्रे, बहेरा अवैध रूप से संग्रहित कर रखा गया है। जप्त वन पदार्थ का कोई वैध कागजात नहीं मिला। संग्रहित वन पदार्थ प्रथम दृष्टया सुरक्षित वन क्षेत्र का होने के कारण अवैध पाकर घटना स्थल पर जप्त महुआ–882 बोरा, पियार–72 बोरा, हर्रे–बहेरा–48 बोरा एवं जोंगी–15 बोरा पर जप्ती की कार्रवाई करते हुए जप्ती सूची बनायी गयी। जप्त सामानों को स्थानीय व्यवस्था कर 73 बोरा वन पदार्थ अघौरा वन परिसर में एवं 129 बोरा वन पदार्थ मकराखोह स्थायी पौधशाला में लाकर रखा गया। काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गये और झगड़ा–झंझट करने पर उतारू हो गये। भीड़ को देखते हुए जप्त वन पदार्थ 702 बोरा महुआ, 65 बोरा पियार एवं 48 बोरा हर्रे–बहेरा नुरसिद आलम, पिता–मजरूल्लामियाँ, ग्राम+थाना–अघौरा, जिला–कैमूर को गोदाम सील कर जिम्मेनामा दे दिया गया।

घटना स्थल पर वनपाल द्वारा वाद का प्रारंभिक प्रतिवेदन, जप्ती सूची के साथ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को समर्पित किया गया।

प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ द्वारा अधिहरण वाद सं0–30/2022 की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसकी सूचना पत्रांक–2618, दिनांक–01.10.2022 द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को भेजी गई।

अधिहरण वाद सं0–30/2022; बिहार सरकार बनाम शाहिद अली में सुनवाई पूरी करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ द्वारा दिनांक–25.01.2024 को भारतीय वन (बिहार संशोधन अधिनियम–1989) अधिनियम–1927 की धारा–52(3) के तहत जप्त महुआ, पियार, हर्रे, बहेरा को राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया। साथ ही इस शर्त पर आदेश दिया गया कि सील बन्द गोदाम को खोलने के लिए दो लाख रुपये का क्षतिपूर्ति राशि वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट जमा करने के पश्चात् वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अघौरा वन प्रक्षेत्र से सम्पर्क स्थापित कर गोदाम में जप्त वन पदार्थ को अपने खर्चे पर वन प्रक्षेत्र कार्यालय, अधौरा में रखवाना होगा।

दिनांक–25.01.2024 को पारित उक्त आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्ता द्वारा समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) के अपीलीय न्यायालय में विविध वाद सं0–15/2024 दायर किया गया। उक्त वाद में समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) द्वारा दिनांक–14.03.2024 को आदेश पारित करते हुए आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) के द्वारा दिनांक–14.03.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध शाहिद अली द्वारा सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के रिविजन न्यायालय में रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजनवाद सं0–06/2024; शाहिद अली बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

रिविजनकर्त्ता (शाहिद अली) द्वारा दाखिल रिविजन याचिका, अपीलीय प्राधिकार–सह–समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) के अपीलीय न्यायालय द्वारा विविध वाद सं0–15/2024 में दिनांक–14.03.2024 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ द्वारा अधिहरण वाद सं0–30/2022; बिहार सरकार बनाम शाहिद अली में दिनांक–25.01.2024 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते हैं:–

1. गुप्त सूचना के आधार पर घटना स्थल पर वन पदाधिकारी अपने कर्मियों सहित पहुंच कर गोदाम मालिक को बुलाया गया तो वे नहीं आये। इसके उपरांत अधौरा थाना के सशस्त्र बल एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी अधौरा वन प्रक्षेत्र की उपस्थिति में गोदाम का ताला तोड़कर गोदाम की तालाशी ली गयी तो भारी मात्रा में वन पदार्थ जैसे–महुआ, पियार, हर्रे–बहेरा, जोंगी पाया गया। जिससे संबंधित कोई भी वांछित कागजात गोदाम में नहीं पाया गया। जप्ती के समय तक गोदाम मालिक द्वारा कोई वैध कागजात नहीं दिखाया गया।

2. अधिहरण न्यायालय में याचिकाकर्त्ता की तरफ से रैयत किसान विजय सिंह उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि उनके रैयती जमीन खाता सं0–23 में महुआ, पिआर के 35 पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों से महुआ फूल इकट्ठा कर शाहिद अली को बेचे थे। लेकिन उनके द्वारा बेचने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. अधिहरण न्यायालय में याचिकाकर्त्ता की तरफ से रैयत किसान लल्लू सिंह उपस्थित हुए। उन्होंने अपने सफाई साक्ष्य में बताया कि उनके रैयती जमीन में हर्रे के 03 पेड़ हैं। उन्हीं पेड़ों से हर्रे इकट्ठा कर 1.5 क्विन्टल 12000/– रुपये में शाहिद अली को बेचे थे। लेकिन उनके द्वारा बेचने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. अधिहरण न्यायालय में याचिकाकर्त्ता की तरफ से रैयत किसान संतोष सिंह उपस्थित हुए। उन्होंने अपने सफाई साक्ष्य में बताया कि उनके रैयती जमीन खाता सं0–08 में हर्रे के कुल 08 पेड़ हैं। जिससे हर्रे इकट्ठा कर 2.5 क्विंटल

20000/– रुपये में शाहिद अली को बेचे थे। लेकिन उनके द्वारा बेचने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. अधिहरण न्यायालय में याचिकाकर्त्ता की तरफ से रैयत किसान रामजनक सिंह उपस्थित हुए। उन्होंने अपने सफाई साक्ष्य में बताया कि उनके रैयती जमीन में महुआ, पियार के कुल 12–13 पेड़ हैं। जिससे हर्रे इकट्ठा कर 1.5 क्विंटल शाहिद अली को बिक्री किये थे। लेकिन उनके द्वारा बेचने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. शाहिद अली द्वारा जानबूझ कर कोई वन अपराध नहीं करने एवं सुलह समझौते के आधार पर जप्त सामानों को छोड़ने तथा मुकदमा को समाप्त करने का अनुरोध अधिहरण न्यायालय के समक्ष किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनके पास जप्त वन पदार्थों के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं था।

7. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–52(1) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:–

"52. Seizure and its procedure for the property liable for confiscation- (1) When there is reason to believe that a forest offence has been committed in respect of any forest produce, such produce, together with all tools, arms boats, vehicles, ropes, chains or any other article used in committing any such offence, may be seized by any Forest Officer or Police Officer."

धारा–52 में किसी सील किये गये गोदाम को कार्यवाही के निष्पादन के उपरांत सुपुर्द करने से पूर्व किसी राशि के भुगतान करने हेतु आदेश पारित करने का प्रावधान नहीं किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ द्वारा वन अधिहरण वाद संख्या–30/2022 में पारित आदेश जिसमें सीलबंद गोदाम को खोलने के लिए 02 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने का निदेश दिया गया है को विधिसम्मत नहीं मानते हुए उसे खारिज किया जाता है।

निदेश दिया जाता है कि रिविजन न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति के 02 सप्ताह के अंदर वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ सीलबंद गोदाम से जप्त सामग्री को खाली करते हुए सामग्री को अपने अधिकार में लेंगे तथा रिविजनकर्त्ता को गोदाम सुपुर्द करेंगे।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित किया जाय।

ह०/–
27.03.2025
**(बन्दना प्रेयषी)**
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित
ह०/–
**(बन्दना प्रेयषी)**
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–06/2024...../प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–.....
प्रतिलिपि– श्री शाहीद अली उर्फ शाहीद अफरीदी, पिता–श्री फकरूद्दीन अहमद उर्फ फकरूद्दीन आलम, ग्राम–अधौरा, थाना+पो0–अधौरा, जिला–कैमूर (भभुआ), पिन नं0–821102 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
**(मोख्तारूल हक)**
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–06/2024...../प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–.....
प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
**(मोख्तारूल हक)**
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–06/2024 1572 /प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक– 01/4/25
प्रतिलिपि– विभागीय आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/4/25
**(मोख्तारूल हक)**
परामर्शी